मुख्य परीक्षा

प्रश्न- भारत में महिला सशक्तिकरण को स्पष्ट करते हुए बताएं कि आखिर वे कौन-से कारण हैं, जिनसे स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी महिलाओं की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुआ है? साथ ही यह भी बताएं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में और कौन-से प्रयास किये जाने चाहिए?

(250 शब्द)

Elucidating women empowerment explain the reasons why the conditions of women are not improved as expected even after 70 years of independence? Also elucidated which efforts should be made the direction of empowerment

(250 Words)

- भूमिका में महिला सशक्तिकरण को बताएं।
- अगले पैरा में बताएं कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों पश्चात् भी महिलाओं की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ?
- फिर अगले पैरा में सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को बताएं।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

सशक्तिकरण से तात्पर्य व्यक्ति की उस क्षमता या स्थिति से है, जब उसमें अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय को लेने और उसे लागू करने की क्षमता आ जाती है। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ गारो, खासी जैसे समुदायों को छोड़कर लगभग पूरे भारत में पितृसत्ता है, जिसमें जेंडर के आधार पर पुरुषों को विशेषाधिकार तथा महिलाओं पर निर्योग्यता निर्धारित की गई है।

स्वतंत्रता के 70 वर्ष पश्चात् भी महिलाओं की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार नहीं:-

- पुरुषवादी मानसिकता का ज्यादा होना क्योंकि पहले महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिये जाते थे।
- महिलाओं की परम्परागत सोच तथा उत्तरदायित्व का निवर्हन करना उदाहरणार्थ घर सम्भालना, बच्चों का पालन पोषण करना आदि।
- वर्क प्लेस (कार्य क्षेत्र) में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी तथा राजनीतिक दलों द्वारा इसे राजनीतिक दल के रूप में प्रयोग करना।
- महिलाओं में आवश्यक प्रतिनिधित्व की कमी जैसे- संसद में महिलाओं की भागीदारी लगभग 10 प्रतिशत है तथा ये आंकड़ा यह प्रदर्शित करता है कि भारतीय संसद में वैश्विक अनुपात 19.5 है, जबकि सर्वाधिक स्वीडन (44.7%) डेनमार्क (39.%) आदि में है।
- शिक्षा का स्तर तथा शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार की कमी होना।
- सामाजिक सुरक्षा तथा आधुनिक सोच का अभाव होना।
- आर्थिक सशक्तिकरण तथा उत्तराधिकार के नियमों में पुरुष वर्ग को वरियता दिया जाना।

⇨ **प्रमुख सुझाव:-**

- शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम को प्रगतिशील अर्थात रोजगारोन्मुख बनाना तथा आधुनिकता से जोड़ना।
- वर्क प्लेस पर महिलाओं से संबंधित आवश्यक प्रसाधनों की व्यवस्था करना।
- महिलाओं से संबंधी यौन हिंसा की घटनाओं को अति शीघ्र प्रशासन तथा न्यायालय द्वारा समाधान करना। जैसे-विशाखा गाइड लाइन
- अविलंब महिला आरक्षण विधेयक पारित हो, क्योंकि निर्णयन की सर्वोच्च शिखर संसद होती है, जहां महिलाएँ अपनी बात नहीं रख पाती हैं। अत: बिना इस बिल के महिला सशक्तिकरण का कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता।
- बिना आर्थिक सशक्तिकरण के संवैधानिक या वैधानिक आरक्षण का कोई महत्त्व नहीं होगा। फलस्वरूप उत्तराधिकार अधिनियम को संशोधित कर पैतृक संपत्ति में महिला को अधिकार देना बाध्यकारी हो या राज्य से लाभ लेने के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, चुनाव लड़ने, सरकारी ठेके लेने या किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए शपथपत्र देना अनिवार्य हो, जिससे पैतृक संपत्ति देने का प्रचलन बढ़े।

- **अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।**